भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA [illegible]0701

27934

सियाराम गंगा प्रसाद एजूकेशनल ट्रस्ट

कार्यालय–उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत वर्ष

ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 21.08.2015ई0 को तहसील नवाबगंज, बाराबंकी मे श्री सुनील कुमार जायसवाल पुत्र श्री सियाराम जायसवाल आयु 42 वर्ष निवासी–उत्तर टोला, बंकी, जनपद–बाराबंकी द्वारा घोषित की गई:—

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BA 630702

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

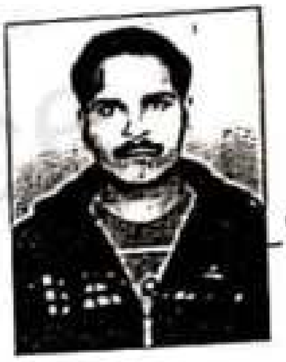

(2)

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुसार रू0 1000/– (रूपया एक हजार मात्र) की धनराशि ट्रस्ट के लिये प्रदान कर दी है। अतः उक्त राशि का अप्रति संहरणी न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि विशेष रूप से बालक–बालिकाओं के लिए प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक के विद्यालय व कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, लॉ कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना व संचालन, अनाथालयों की स्थापना, शहरी बेरोजगार युवक व —

2

11. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार–प्रसार और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना व संचालन करना।

12. प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, तूफान, भूकम्प, बाढ़, आगजनी, महामारी आदि के समय पीड़ित जरूरतमंद लोगों की सहायता एवं राहत प्रदान करना तथा ऐसे राहत कार्यों में लगी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना एवं प्राचीन मंदिरों का जीर्णोधार करवाना।

<u>नियमावली</u>

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक से श्री सुनील कुमार जायसवाल जो न्यासकर्त्ता एवं इस न्यास विलेख के रचियता भी है, की इस ट्रस्ट का अवैतिनिक अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है। जिन्हे अध्यक्ष कहा जा सकेगा इनका कार्यकाल आजीवन रहेगा और इनकी मृत्युोपरान्त इनका उत्तराधिकारी ही अध्यक्ष के पद पर कार्य करेगा।

2. ट्रस्टी / संस्थापक / अध्यक्ष की पंजीकरण के तत्काल बाद से वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो डीड में ट्रस्टी को प्रदान किए गए है।

3. <u>अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी या ट्रस्टी अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे यदि किसी वजह से वह अपने उत्तराधिकारी को नहीं चुनता है तो अध्यक्ष का वास्तविक उत्तराधिकारी स्वयं ही अध्यक्ष हो जायेगा।</u>